उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 पिटीसन वाद सं0 93/2020–21

सुरेश हजरा.....आवेदक

बनाम

शालीग्राम पासवान.....विपक्षी

आदेश

28.12.2021

यह रे0मि0 पिटीसन आवेदक सुरेश हजरा एवं अन्य 6 द्वारा दायर आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा आमजोरा के जमाबंदी नं0–36 गत सर्वे सेटेलमेंट के अनाबादी खाता में दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग सं0–02 में गैर जमाबंदी रैयत के साथ एस0आर0 वाद सं0–08/2006–07 में दिनांक–04.11.06 को बन्दोबस्ती दिया गया है। यह बंदोबस्ती उन्हें लाल पट्टा में दिया गया, जिसमें अंचल अधिकारी, सरैयाहाट भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका एवं अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका का हस्ताक्षर है। यह बन्दोबस्ती विपक्षी को कृषि कार्य के उद्देश्य से दिया गया है किन्तु प्रश्नगत जमीन अबतक कृषियोग्य के रूप में खंडित नही किया गया है। मौजा में कई हरिजन एवं भूमिहीन रैयत है। ऐसी स्थिति में बाहरी व्यक्ति को बंदोबस्ती दिया जाना उचित नहीं है तथा जमीन अबतक खंडित नही किया गया है। उनके द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–33 के अन्तर्गत विपक्षी के साथ की गई बंदोबस्ती को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

संथाल परगना कास्तकारी धारा–33 में उल्लेख है

"Settlement of Wast land liable to be set aside if not cultivated with five years- In the event of any land settled as aforesaid not being brought uder cultivation within a period of five years from the date of settlement, it shall be open to Deputy Commissioner on an application made by a Jamabandi

raiyat, the village headman, mulraiyat or the landlord, as the case may be, to set aside the settlement and to make such resettlement as is permissible under this Act or any law or anything having the force of law in the Santal Parganas.

इस धारा के अन्तर्गत बन्दोबस्ती प्राप्त जमीन का स्वरूप नहीं बदला जाता है तो इसे रद्द किया जा सकता है। किन्तु इसके पूर्व अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि अंचल अधिकारी, सरैयाहाट से प्रश्नगत जमीन एवं विपक्षी उक्त मौजा का जमाबंदी रैयत है कि नहीं के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त कर आदेश पारित करे।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 16:46:11 +05:30
Location: 169.254.227.244